उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-37/2021/4779/41-2020-103 (बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2021

संख्या-152/2020/1803/41-2020-103(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद प्रतापगढ के ग्राम सर्वजीतपुर में दुर्गा मंदिर स्थल के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत **शासनादेश संख्या-152/2020/1803/41-2020-103(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020** के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 1764/6-1-1(976)/2018 दिनांक 14-8-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** में त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ** अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज** अंकित होना चाहिए था। अत: तद्क्रम में शासन द्वारा शुद्धि पत्र संख्या-192/2020/2280/41-2020-103(बजट)/1018, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 निर्गत किया गया जिसमें में **क्रम सं0-4** में **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज** अंकित कर सेशोधित पत्र निर्गत कर दिया गया ।

2. पुन: महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4033/6-1-1(976)/2018 दिनांक 23-11-2020 द्वारा अपने पूर्व संस्तुति/प्रस्ताव के विपरीत प्रायोजना की अवशेष स्वीकृति हेतु निर्गत किये गये शासनादेश में मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज के स्थान पर **कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ का** अंकन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 23.11.2020 के क्रम में पूर्व में निर्गत किये गये शुद्धि पत्र संख्या-192/2020/2280/41-2020-103(बजट)/1018, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए स्वीकृति के मूल शासनादेश संख्या-152/2020/1803/41-2020-103(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020 के पृष्ठांकन के क्रमांक-4 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ के स्थान पर कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ अंकित किया जाता है एवं यह निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण में दोहरा आहरण न हो।

4. तदनुसार पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-152/2020/1803/41-2020-103(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2021/4779(1)/41-2020-103 (बजट)/2018 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in

3- महानिदेशक, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि भविष्य में स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में आहरण हेतु संगत कोषाधिकारी का विवरण अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाय।

4- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।

6- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।

7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

8- निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।

9- अधिशासी अभियन्ता ,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रतापगढ।

10- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।

12- उप निदेशक, पर्यटन ,प्रयागराज मण्डल।

13- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रयागराज।

14- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।

15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।